न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः अपील / 97 / 2022 दायर दिनांकः 24.08.2022

GCMS NO- 2022/97

1. चन्दूराम पुत्र रेवन्तराम जाति मेघवाल निवासी चक 2 टीटीडी भोजेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(अपीलांटस)

बनाम

1. गायत्री पत्नी भूराराम जाति मेघवाल निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(रेस्पोडेंटस)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राकेश सारस्वत अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01

:: निर्णय :: दिनांकः– 21.02.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के प्रकरण संख्या 16 / 2015 अनवान गायत्री बनाम चन्दूराम अन्तर्गत धारा 183 (बी) आरटीए में पारित आदेश दिनांक 16.12.2015 जिसके द्वारा अपीलांट को जैर अपील भूमि पर अतिचारी मानकर बेदखली का आदेश पारित कर दिया, के विरूद्व इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि चक 2 टीटीडी के पत्थर न. 211 / 11 (53) के किला न. 22 / 2 की 0.202 है0 खातेदारी भूमि उसके नाम से है परन्तु उस पर चन्दुराम पुत्र रेवन्तराम ने कब्जा कर रखा है। उक्त खातेदारी भूमि व उस पर बनी ढाणी का कब्जा दिलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थन पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये अप्रार्थी (अपीलांट) को तलब किया व पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट मंगवायी। अप्रार्थी को तामील नहीं होने के बावजूद भी उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई व पटवारी हल्का की रिपार्ट में आया कि जैर अपील भूमि राजस्व रिकार्ड में में गायत्री देवी के नाम से खातेदारी दर्ज है परन्तु मौका पर चन्दुराम का रिहायशी मकान बनाम हुआ है व मौका पर परिवार सहित निवास कर रहा है। यह रिपोर्ट आने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.12.2015 को अपीलांट को बिना नोटिस तामील हुए ही तामील मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए जैर अपील आदेश पारित कर अपीलांट को बेदखल कर जैर अपील भूमि का कब्जा गायत्री देवी को दिलाने का जैर अपील आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत होने से निरस्त योगय है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटस को जरिये [illegible] तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ बिश्नोई हाजिर [illegible] रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश सारस्वत तथा रेस्पोडेंट संख्या 02 [illegible] हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल [illegible] किया गया [illegible] उभय पक्ष सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.28 11:59:47 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

4. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर अपील आदेश दिनांक 06.12.2015 का ज्ञान अपीलांट को सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस दिनांक 28.07.2022 से हुआ। तब अपीलांट दिनांक 19.7.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में आया तब पता चला व उस दिन जैर अपील निर्णय की नकल हेतु आवेदन किया परन्तु उक्त निर्णय की नकल नहीं मिली। दिनांक 12.8.2022 को अपीलांट को उसकी ढाणी से बेदखल करने के फिर से आदेश दिये जाने का ज्ञान दिनांक 18.8.2022 को हुआ तब बिना किसी देरी किये नकल प्राप्त अपील पेश की गई। अपील पेश करने में हुई देरी स्वाभाविक है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

5. वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 व पैरोकार राज ने उक्त प्रार्थना पत्र का ना तो कोई जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर कोई आपत्ति जाहिर की। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

6. अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराया तथा कथन किया कि तहसील सूरतगढ़ के चक 2 टीटीडी के पत्थर न. 211/11 पर गावं ठेठार के अन्य व्यक्तियों व अपीलांट ने अपने रिहाशी घर व ढाणियां बना रखी थी। इस मुरब्बा का करीब 17 बीघा किसी कुम्हार वर्ग के व्यक्ति को आवंटन हो गया व वह मौका पर आया तो इस चक के काश्तकारों की ढाणियां व रिहायशी मकान बने हुए थे। जिसमें से अपीलांट का घर भी किला नम्बर 22/2 के 0.202 है0 भूमि पर बना हुआ था जिसमें पशुओं के चारा आदि के कमरे तथा अपीलांट के परिवार के लिए रिहायशी मकान व पानी के लिए डिग्गी बनी हुई थी। रकबा पर कई रिहायशी मकानात इत्यादि बने होने के कारण उस आवंटी काश्तकार से बैठक हुई। बैठक में यह तय हुआ कि जिन लोगो के पास आधा बीघा से ज्यादा व एक बीघा से कम भूमि की है वह 7000 रूपये अलॉटी को देंगें व अलॉटी भूमि की किस्त जमा करवाकर खातेदारी लाकर उन कब्जाधारियों के पक्ष में बेयनामा करवा देंगें। कुछ समय बाद अलॉटी अपीलांट के घर आया और कहा कि कब्जा काश्त की भूमि का बैयनामा करवा लो। अन्य कब्जाधारियों ने तो बैयनामें करवा लिये है। परन्तु उस समय अपीलांट का उसकी पत्नी का मूल निवास नही बना हुआ था। जिसक कारण अपीलांट के बडे भाई की पत्नी गायंत्री देवी ने अपनी भूमि के साथ साथ अपीलांट की भूमि का बेयनामा भी अपने पक्ष में करवा लिया जिसका समस्त भुगतान अपीलांट द्वारा किया गया व बाद में वापिस अपीलांट या उसके परिवारजन के पक्ष में बैयानामा करवाने बाबत गायत्री देवी द्वारा सहमति दी गई । जब अपीलांट का मूल निवास प्रमाण पत्र बन गया तो अपीलांट ने अपने कब्जाशुदा रकबा का बेयनामा अपने पक्ष में करवाने के लिए कहा तो गायत्री देवी आनाकानी करने लगी। उसके उपरांत अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय का नोटिस दिनांक 28.06.2022 प्राप्त हुआ जिसमें 7 दिवस में उक्त रकबा खाली करने के आदेश दिये हुए थे। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की तब पता चला कि अधीनस्थ न्यायालय ने वर्ष 2015 में ही बेदखली के आदेश पारित कर दियें। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना ही अपीलांट के 40 वर्ष से अधिक समय के कब्जाशुदा रकबा जिसमें अ[illegible] रिहायशी ढाणी बनी हुई है जिसका बिजली पानी का बिल अपीलांट के नाम से आता है [illegible] पशु आदि सब रह रहे है, से अपीलांट को बेदखल करने के आदेश पारित कर दि[illegible] अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 में पारित किये गये आदेशों की [illegible] रहा है जो नियम विरूद्ध है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.28 11:59:47 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 06.12.2015 व इसकी पालना में जारी आदेश दिनांक 12.08.2022 निरस्त किया जावें।

7. वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने भी यही माना है कि आवंटी द्वारा जैर अपील भूमि का बैयनामा मुझ रेस्पोडेंट संख्या 01 के पक्ष में सम्पादित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंगवायी गई रिपोर्ट पटवारी अनुसार भी जैर अपील भूमि मेरे नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा अपीलांट द्वारा ही मेरे रकबा पर जबरन कब्जा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही पूर्ण कर मौका जांच कर ही मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

8. रेस्पोडेंट संख्या 02 पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि रिपोर्ट पटवारी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 2 टीटीडी के खसरा न. 15 के पत्थर न. 211/11 के किला न. 22/2 की 0.202 है0 अ0क0 भूमि गायत्री पत्नी भूराराम के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। परन्तु मौका पर चन्दूराम पुत्र रेवंताराम का रिहायशी मकान बना हुआ है। इसलिए चन्दूराम को अतिचारी घोषित करते हुए नियमानुसार पूर्ण प्रकिया अपनाते हुए ही अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने उभय बहस की बहस पर चिंतन मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। जिससे पाया कि प्रकरण में ख्यालीराम पुत्र डूंगरराम कौम कुम्हार को चक 2 टीटीडी में पत्थर न 211/11 में किला न. 3 ता 8, 13 ता 19, 22 ता 25 में 4.310 है0 अ0क0 भूमि आवंटन हुई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 10.06.2012 अनुसार चक 2 टीटीडी के पत्थर न. 211/11 किला न. 3 ता 8 की 1.518 है0 अ0क0, किला न. 13 ता 18 की 1.518 है0 अ0क0, किला न. 22/2 की 0.202 है0 कुल 3.238 है अ0क0 रकबा गायत्री पत्नी भूराराम के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें से किला न. 22/2 में चन्दूराम का घर बना हुआ है जो अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है। चूंकि रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार चक 2 टीटीडी के पत्थर न. 211/11 किला न. 3 ता 8 की 1.518 है0 अ0क0, किला न. 13 ता 18 की 1.518 है0 अ0क0, किला न. 22/2 की 0.202 है0 कुल 3.238 है अ0क0 रकबा गायत्री पत्नी भूराराम के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है परन्तु उक्त रकबा में से किला न. 22/2 में चन्दूराम ने घर बना रखा है जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अपीलांट द्वारा जैर अपील रकबा पर अपने हक हकूक से संबंधित कोई दस्तावेजात भी पेश नहीं किये गये है। अतः प्रकरण में अपीलांट चन्दूराम अतिचारी सिद्व होने अपील अपीलांट निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ का आदेश दिनांक 06.12.2015 व इसकी पालना में जारी आदेश दिनांक 12.08.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्वा), सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

निर्णय आज दिनांक 21.2.2023 को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.28 11:59:47 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner